

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला-शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024(3)2/2024

दिनांक :- 12.05.2024

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र.सं. 3/2/24 अनवान गजेन्द्र पिता सत्यनारायण महाजन, गीता पत्नि स्व. मदनलाल महाजन, नरेन्द्र पिता मदन लाल महाजन, पवन कुमार पिता नोरतमल महाजन, मुन्नी देवी पत्नि सत्यनारायण महाजन, महेन्द्र पिता सत्यनारायण महाजन, राजू उर्फ राजेन्द्र पिता मदनलाल महाजन, विनोद पिता मदनलाल महाजन, सुरेन्द्र पिता सत्यनारायण महाजन, सुरेश पिता मदनलाल महाजन सर्वनिवासियान देवली, तहसील-देवली, जिला-टोंक बनाम सोहनलाल पिता सूरजमल मीणा निवासी-मोरला, तहसील-जहाजपुर जिला-भीलवाड़ा, राकुंवार पिता सूरजमल मीणा निवासी-मोरला, तहसील-जहाजपुर जिला-भीलवाड़ा, कैलाश पिता पिता सूरजमल मीणा निवासी-मोरला, तहसील-जहाजपुर जिला-भीलवाड़ा, की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम ऊँचा, प.ह. ऊँचा तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.सं. 1727/649, 1728/649, 648 कुल किता 3 रकबा 3.4803 हैक्टर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000/-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/सम्मन भेजकर उभय पक्ष की उपस्थिति में पत्थरगरगढी का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी आदेश पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर (शाहपुरा)

गजेन्द्र पिता सत्यनारायण वगैरा

बनाम

सोहनलाल पिता सूरजमल मीणा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 आर. एल.आर.ए. मुकदमा नं. 3)2/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
13.5.24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की आ.सं. आ.सं. 1727/649, 1728/649, 648 कुल किता 3 रकबा 3.4803 हैक्टर हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र पत्र 111, 128 रा.ले. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि आ.सं. 1727/649, 1728/649, 648 कुल किता 3 रकबा 3.4803 हैक्टर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/-रूपये तय किये जाते है। जो प्रार्थी. मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200/-रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13.5.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner